न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 19/2017 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

प्रेमचन्द जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. रामेश्वर दयाल अग्रवाल पुत्र श्री बन्द्रीप्रसाद अग्रवाल उम्र 65 वर्ष जाति वैश्य–एफबीओ व मालिक–फर्म–बन्द्रीप्रसाद, रामेश्वरदयाल, अटलबन्द मण्डी, भरतपुर (राज.) निवासी मेठी बुक डिपो के पास, गंगामंदिर भरतपुर (राज.)
2. सुखदेव भाई सनेपारा पुत्र श्री एन. एम. सनेपारा–पार्टनर–फर्म Balaji Oil & Food Products industries, J-376, karni industrial area, Bikaner-334001 (Raj) निवासी सारंगपुर अमरेली, सूरत (गुजरात)
3. रोहित प्राग जी भाई गोल पुत्र श्री प्राग जी ए गोल–पार्टनर–फर्म Balaji Oil & Food Products industries, J-376, karni industrial area, Bikaner-334001 (Raj) निवासी ए–903, राजहंस टॉवर, मैन रोड, गोटा वाराछा, सूरत (गुजरात)

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011

उपस्थितः–

1. गैरसायल संख्या 1 मय वकील श्री रमनलाल मित्तल

निर्णय

दिनांक : 26.12.2019

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (II) एफ. एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायलान दिनांक

28.04.2017 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 1 मय वकील दिनांक 02.11.2017 को उपस्थिति हुये। इस्तगासा की नकल वकील गैरसायल संख्या 1 को दी गई। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। नियत दिनांक 26.12.2019 को वकील गैरसायल संख्या को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 28.11.2016 को प्रातः 11.00 बजे गैरसायल संख्या 1 की फर्म बन्द्रीप्रसाद रामेश्वरदयाल अटलबन्द मण्डी भरतपुर का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण फर्म–बन्द्रीप्रसाद रामेश्वरदयाल पर सरसो तेल (सारथी ब्राण्ड) 500 मिली. पैक की 30 बोतल 5 कार्टूनों में पाई गई जिसका विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर सरसो तेल (सारथी ब्राण्ड) की 04 बोतल 179/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–1205/एक्ट/ 2016/1212 दिनांक 09.12.2016 द्वारा उक्त सरसो तेल (सारथी ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैर सायल द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है।

आरोपो को सुन व समझकर वकील गैरसायल संख्या 1 ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में उक्त खाद्य वस्तु मात्र मिथ्याछाप प्रकृति का पाया गया है। जिसे गैरसायल संख्या 1 स्वीकार करता है। जिसका भी हमने सुधार कर लिया गया है। गैरसायल संख्या 1 छोटे स्तर का व्यापारी है। गैरसायल संख्या 1 गैरसायल संख्या 2 व 3 से तेल सरसों क्रय करके बेचता चला आ रहा है। वकील गैरसायल संख्या 1 ने गैरसालय संख्या 2 व 3 का स्वर्गवास होना बताया। गैरसायल संख्या 1 की यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल संख्या 1 अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खादय पदार्थ का विक्रय करेगा। गैरसायल संख्या 1 की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल संख्या 1 के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैरसायल संख्या 1 के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 28.11.2016 को गैरसायल संख्या 1

की फर्म बन्द्रीप्रसाद रामेश्वरदयाल से आम जनता के विक्रय हेतु संग्रहित तेल सरसों तेल (सारथी ब्राण्ड) का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 09.12.2016 में मिथ्याछाप स्तर (Misbranded) का पाया गया है। गैरसायल संख्या 2 व 3 से सरसो तेल (सारथी ब्राण्ड) को खरीद कर विक्रय काफी समय से करते आ रहे है। गैरसायल संख्या 1 के द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। वकील गैरसायल संख्या 1 ने दौराने सुनवाई बताया कि गैरसायल संख्या 2 व 3 का स्वर्गवास हो चुका है तथा गैरसायल संख्या 1 ने इस बाबत एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है। गैरसायल संख्या 3 के नोटिस के पीछे तहसीलदार बीकानेर ने अपनी रिपोर्ट में भी फैक्ट्री एक साल से बन्द होना अंकित किया है। गैरसायल संख्या 1 के व्यापार परिसर पर सरसो तेल (सारथी ब्राण्ड) 500 मिली. पैक की 30 बोतल ही वक्त जांच संग्रहित पाई गई है। गैरसायल संख्या 1 छोटे स्तर का व्यापारी है क्योकि उसके पास मात्र सरसो तेल (सारथी ब्राण्ड) 500 मिली पैक की 30 बोतल ही व्यापार परिसर पर संग्रहित पाई गई है तथा दौराने निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी 4 बोतल सरसो तेल (सारथी ब्राण्ड) 179/– रूपये में क्रय की है। इससे स्पष्ट है कि व्यापार परिसर पर संग्रहित सरसो तेल (सारथी ब्राण्ड) 500 मिली. पैक की 30 बोतल की कीमत मात्र 1343/– रूपये होती है तथा इससे यह भी स्पष्ट होता है कि गैरसायल संख्या 1 छोटे स्तर का व्यापारी है। ऐसी स्थिति में गैरसायल संख्या 1 को भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल संख्या 1 के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल संख्या 1 रामेश्वर दयाल अग्रवाल पुत्र श्री बन्द्रीप्रसाद पर 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 26.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी **एवं**
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर